भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3507

सोमवार, 16 मार्च, 2020/26 फाल्गुन, 1941 (शक)

असंगठित क्षेत्र में महिलाएं

3507. श्री पी. वी. मिधुन रेड्डी:

श्री डी. एम. कथीर आनंद:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महिला गरीबी का अनुपात दिन-ब-दिन बढ़ता जा रहा है;

(ख) क्या सरकार का असंगठित क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं की गरीबी दूर करने के लिए एक व्यापक कार्ययोजना बनाने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (घ): भारत ने विद्युत व्यवस्था, स्वच्छता कवरेज का विस्तार करना, न्यूनतम मजदूरी बढ़ाना आदि जैसे रहन-सहन के मानक में सुधार पर लक्षित अनेक कार्यक्रमों की शुरुआत की है जिसके परिणामस्वरूप महिलाओं के बीच गरीबी सहित गरीबी में अत्यधिक कमी आई है। महिलाओं के रहन-सहन के मानकों में सुधार करना सरकार का एक मुख्य केंद्र-बिन्दु है। मुख्य पहलें इस प्रकार हैं: उज्जवला योजना, मैत्री वंदना योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, प्रधान मंत्री (ग्रामीण) आवास योजना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम आदि। इसके अलावा, मुद्रा योजना स्कीम, टीआरईएडी (व्यापार संबंधी उद्यमिता सहायता एवं विकास), महिला उद्यम निधि योजना, अन्नपूर्णा योजना, महिलाओं के लिए स्त्री शक्ति पैकेज, भारतीय महिला व्यावसायिक बैंक ऋण, देना शक्ति योजना, उद्योगिनी योजना तथा सेन्ट कल्याण योजना के माध्यम से महिला उद्यमियों और व्यवसाय के मालिकों को सशक्त करने वाले नवीनतम विचारों और सृजनात्मक समाधानों के माध्यम से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग। प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई), प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई), प्रधान मंत्री श्रम योगी मानधन योजना (पीएम-एसवाईएम) तथा व्यापारियों और स्व-नियोजित व्यक्तियों (एनरपीएस-व्यापारी) के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना जैसी योजनाएं असंगठित क्षेत्र में महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध करा रही हैं।

******